प्रकाशन हेतु अनुमोदित

माननीय छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

CRA No. 627 of 2023

अरशद खान, पिता–अलम खान उर्फ बाबी जानी, उम्र–24 वर्ष, पता–काशीराम नगर टण्डन चौक पुलिस थाना तेलीबांधा, जिला–रायपुर छ०ग०

... ...अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ शासन
थाना ,तेलीबांधा जिला–रायपुर छ०ग०

... ..उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

CRA No. 723 of 2023

सैय्यद नदीम उर्फ बडा मोनू, पिता–सैय्यद हनीफ,
उम्र–24 वर्ष, पता–काशीनगर, दीपेश जनरल स्टोर के पास
थाना–तेलीबांधा, जिला–रायपुर छ०ग०

....अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ शासन
थाना ,तेलीबांधा जिला–रायपुर छ०ग०

... .उत्तरवादी

अपीलार्थी की ओर से:–श्री गगन तिवारी एवं श्री ईशान वर्मा अधिवक्ता

उत्तरवादी/शासन की ओर :– श्री रणवीर सिंह मरहास अतिरिक्त महाधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिंन्हा, मुख्य न्यायधीश

माननीय श्री विभू दत्त गुरू न्यायाधीश

निर्णय बोर्ड से पारित

10.09.2024

1. चूँकि उपर्युक्त अपीलें एक समान तथ्यात्मक स्वरुप और आरोपित निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए यह न्यायालय इनका निराकरण एक समान निर्णय द्वारा कर रहा है ।

2. अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 374(2) दंप्रसं के तहत विद्वान अष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला–रायपुर (छ.ग.) के सत्र प्रकरण क्रमांक 198/2019 में घोषित दोषसिद्ध, निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 25.11.2022 के विरुद्ध है जिसके तहत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को दोषी पाते हुए निम्नानुसार सभी सजाओं को एक साथ चलाने के निर्देश के साथ सजा सुनाई गयी ।

दोषसिद्ध	**दण्डादेश**
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 बी के तहत	आजीवन कारावास और 500/– रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा नहीं करने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास ।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के तहत	आजीवन कारावास और 500/– रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा नहीं करने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास ।
आयुध अधिनियम की धारा 25(1–बी) (बी) के तहत	दो वर्ष कारावास और 300/– रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा नहीं करने पर 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत	दो वर्ष कारावास और 300/– रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा नहीं करने पर 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, शिकायतकर्ता ममता नायडू ने तेलीबांधा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि करीब एक सप्ताह पहले उसके भाई दीपक नायडू और अरशद के पिता बाबा जानी के बीच झगड़ा हुआ था । इसी बात को लेकर अरशद, दीपक नायडू के साथ रंजीश रखता था । 15.06.2019 को शाम करीब 06.00 बजे अरशद ने उसके भाई को फोन करके कहा कि वे शराब पीते हैं, जिस पर उसका भाई दीपक नायडू मोटरसायकल पर घर से निकल गया । अरशद भी दूसरी मोटरसायकल से अपने भाई का पीछा करता रहा । जब उसका भाई घर नहीं लौटा तो शाम करीब 07.04 बजे उसकी भाभी समा ने दीपक को फोन कर जल्दी वापस आने को कहा ।

4. आगे अभियोजन का मामला यह है कि शिकायतकर्ता का भाई दीपक अपनी पत्नी समा से बात कर रहा था तभी उसकी बातचीत बंद हो गयी और उसकी भाभी समा रोने लगी और बताया कि अरशद और नदीम आदि दीपक नायडू से झगडा कर रहे है, उसका मोबाईल गिर गया है और वह बात नहीं कर पा रहा है। इस पर शिकायतकर्ता ने अपने बड़े भाई राजा को फोन करके बताया अरशद व नदीम आदि दीपक नायडू से झगडा और मारपीट कर रहे है, जाकर पता करो । तब उसका भाई राज, दीपक नायडू के बारे में पता करने गया और रात 08.00 से 08.30 बजे के बीच राजा नायडू घर वापस आया और बताया कि अरशद, नदीम और उसके साथियों ने लाभांडी शराब भट्टी रोड पर दीपक को सीने, पेट और हाथ पर चाकू से वार कर गंभीर रुप से घायल कर दिया है और उसे अस्पताल ले जाया गया है । यह पता चलने पर शिकायकर्ता अपनी भाभी समा, पिता गणेश नायडू, माँ निर्मला नायडू मेकाहारा अस्पताल पहुंची, जहां बताया गया कि उसके भाई की मृत्यु हो गयी है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. शिकायकर्ता ममता नायडू के उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण/अपीलकर्ताओं के विरुद्ध थाना तेलीबांधा में धारा 302/34 भारतीय

दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध क्रमांक 323/2019 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी 12) पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया । दीपक नायडू की हत्या से मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होने पर थाना तेलबांधा द्वारा मर्ग क्रमांक 32/2019 प्रदर्श पी 13 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया । मेकाहारा अस्पताल रायपुर से दीपक नायडू की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर, थाना मौदहापारा द्वारा बिना नम्बरी मर्ग सूचना दर्ज की गयी । जांच अधिकारी द्वारा मेकाहारा अस्पताल, रायपुर पहुंचकर धारा 175 दण्ड प्रक्रिया संहिता (प्रदर्श पी 13 ए) के तहत गवाहों को बुलाकर मृतक दीपक नायडू की शव की जांच प्रदर्श पी 14 के तहत तैयार की गयी तथा उसके बाद प्रदर्श पी 15 के तहत पोस्टमार्टम कराने के लिए आवेदन दिया गया जिस पर मृतक दीपक नायडू के शव का मोस्टमार्टम डॉ० एम. निराला (अ०सा० 12) द्वारा किया गया तथा उनके द्वारा प्रदर्श पी 15 के तहत रिपोर्ट दी गयी जिसमें निम्नलिखित चोटे पायीः–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चोट क्रमांक 1 और 2 : छाती के बांयी ओर 5 वे और 6 वे इंटरकोस्टल क्षेत्र (दो पसलियों के बीच का स्थान) दो चाकू के घाव थे, (01)5 वें इंटरकोस्टल क्षेत्र में 3x1x6 सेमी माप और (02) 6 वें इंटरकोस्टल क्षेत्र में 2.5x0.5x2 सेमी.माप के चोट थे ।

चोट क्रमांक 3 :– छाती में दाहिने ओर निप्पल से 4 सेमी. की दूरी में 1x0.5x0.5 सेमी.।

चोट क्रमांक 4 :– पेट के ऊपरी हिस्से में बांयी ओर 3x0.5x आंत की गहराई।

चोट क्रमांक 5 :– पेट के मध्य भाग में बांयी ओर 3x0.5x आंत की गहराई पर।

चोट क्रमांक 6 :– पेट के मध्य भाग में दाहिने ओर 3x1x आंत की गहराई तक।

चोट क्रमांक 7 :– पीठ के बीच में रीढ की हड्डी से 4 सेमी. दूर दांयी ओर पार्श्व में 3x1x2 सेमी.।

चोट क्रमांक 8 :– रीढ की हड्डी से 4 सेमी. दूर पीठ के बांयी और पार्श्व में 3X1X2 सेमी. ।

चोट क्रमांक 9 :– पेट के मध्य भाग में दांयी ओर पार्श्व में 6X1 सेमी का घाव था

और कोहिने पर 3X2 सेमी. का घाव था ।

चोट क्रमांक 10 :– बांह पर 3X1 सेमी. का घाव था ।

डॉ० एम. निराला (अ०सा० 12) के अभिमत अनुसार, मृतक दीपक नायडू की कृत्यु कई बार चाकू से वार करने के कारण रक्त स्त्राव और सदमे के कारण हुई थी, मृत्यु की अवधी पोस्टमार्टम जांच से 24 घंटे पहले की थी और मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी ।

6. जांच के दौरान आरोपी अरशद और नदीम को हिरासत में लेकर गवाहों के सामने पूछताछ की गयी । घटना स्थल का नक्शा प्रदर्श पी 10 के अनुसार तैयार किया गया। मौका नक्शा तैयार करने के लिए ज्ञापन तहसीलदार को प्रदर्श पी 01 के तहत दिया गया और इसके बाद पटवारी मनीष धनगर (अ०सा० 1) के द्वारा प्रदर्श पी 02 के तहत मौका नक्शा तैयार किया गया । घटना स्थल से खून से सनी मिट्टी और सादी मिट्टी प्रदर्श पी 11 के तहत जप्ती की गयी । आरोपी अरशद का कथन गवाह राजकुमार (अ०सा० 2) और भगवान सिंह (अ०सा० 7) के सामने प्रदर्श पी 04 के तहत दर्ज किया गया और निशानदेही पर खून के धब्बे वाला एक चाकू, एक वीवो कम्पनी का मोबाईल जिस पर एक सीम नम्बर 7000118792 है, एक वाहन जूपीटर जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर सी जी 04 एल डब्ल्यू 9327 है ; घटना के समय पहनी हुई एक फुल आस्तीन की शर्ट जिसमें खून के धब्बे थे तथा घटना के समय पहनी हुई एक लोवर जिसमें खून के धब्बे थे, को प्रदर्श पी 06 के अनुसार जप्त किया गया । अभियुक्त नदीम का मेमोरण्डम कथन गवाह राजू कुमार (अ०सा० 2) तथा भगवान सिंह (अ०सा० 7) के समक्ष प्रदर्श पी 05 के अनुसार दर्ज किया गया तथा उसके निशानदेही पर एक खून के धब्बे वाला एक चाकू, एक सीम नम्बर 8120511302 सहित एक लावा कम्पनी का मोबाईल, खून के धब्बे वाले घटना के समय पहनी हुई एक हाफ टी–शर्ट तथा खून के धब्बे वाले घटना के समय पहनी हुई एक जींस पेंट को प्रदर्श पी 07 के अनुसार जप्ती किया गया । मृतक के खून से सने कपड़े प्रदर्श पी 17 के अनुसार जप्त किये गये ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वीवो मोबाईल का बिल प्रदर्श पी 18 के तहत जप्त किया गया तथा जूपिटर का रजिस्ट्रेशन कार्ड जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर सी जी 04 एल डब्ल्यू 9327 प्रदर्श पी 19 के तहत जप्त किया गया । आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाये जाने से उन्हें प्रदर्श पी 08 एवं प्रदर्श पी 09 के तहत गिरफ्तार किया गया तथा उनकी गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को प्रदर्श पी 22 तथा प्रदर्श पी 23 के तहत दी गयी ।

7. साक्षियों के कथन दर्ज किये गये । जप्त सामान और जप्त चाकू को क्वेरी के लिए डॉ० एम. निराला (अ०सा० 12) के पास भेजा गया, जिनके द्वारा क्रमशः प्रदर्श पी 31 और प्रदर्श पी 32 के तहत क्वेरी रिपोर्ट दिया गया और रासायनिक परीक्षण के लिए सूझाव दिया गया, ततपश्चात जप्तशुदा वस्तुओं को प्रदर्श पी 33 के माध्यम से रासायनिक परीक्षण के लिए फोरेसिंक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया था और वहां से प्रदर्श पी 34 के माध्यम एफ एस एल रिपोर्ट प्राप्त की गयी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. आरोपी अरशद खान और सैयद नदीम उर्फ बडा मोनू के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध का साक्ष्य पाये जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर के समक्ष धारा 120 बी, 302/34 भारतीय दंड संहित और धारा 25, 27 आयुध अधिनियम का आरोपी पत्र दाखिल किया गया और आरोपी ललित बरवे उर्फ लीयन और कलील उर्फ खलील उर्फ सोनू को फरार घोषित किया गया । प्रकरण सत्र न्यायालय रायपुर में प्रस्तुत किये जाने के बाद विधिवत सुनवाई के लिए विद्वान अष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर के न्यायालय में स्थानांतरित किया गया । आरोपियों के विरुद्ध धारा 120 बी, 302 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहित 1860 और धारा 25, 27 आयुध अधिनियम के तहत आरोप गठित किये गये । आरोपियों ने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों से इंकार किया । दंड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्तों ने अपने बचाव में कोई गवाह पेश नहीं किया तथा स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फसायें जाने का दावा किया ।

9. अभियोजन की ओर से मनीष धनगर (अ०सा० 1), राजू कुमार (अ०सा० 2), निर्मला नायडू (अ०सा० 3), ममता नायडू (अ०सा० 4), समा नायडू(अ०सा० 5),राजानायडू(अ०सा० 6), भगवानसिंहचौहान (अ०सा० 7), रोशन कुमार टांडेकर (अ०सा० 8), सहायक उप–निरीक्षक सुरेंद्र कुमार साहू (अ०सा० 1), उपनिरीक्षक सुरेश शर्मा (अ०सा० 10),सहायक उपनिरीक्षक रामस्वरूप देवांगन (अ०सा० 11),डॉ. एम.निराला (अ०सा० 12), डॉ. अनिल बघेल (अ०सा० 13),रमेश कंवर (अ०सा० 14) का कथन कराया गया।

10. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना करते हुए निर्णय दिनांक 25.11.2022 के द्वारा अपीलकर्ताओं को उपर्युक्त रुप से दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गयी जिसके विरुद्ध यह आपराधिक अपील पेश की गयी है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री गगन तिवारी और ईशान वर्मा ने कहा कि अपीलकर्ता निर्दोष है और उन्हें इस मामले में केवल इसलिए झूठा फसाया गया है क्योंकि उनके बीच पहले से दुश्मनी थी । मृतक स्वयं शराबी और आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसके खिलाफ विभिन्न प्रकृति के 08 से 09 आपराधिक मामले चल रहे थे और मृतक की कई लोगों से दुश्मनी थी। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपराध को साबित करने में विफल रहा है और अंतिम बार एक साथ देखे जाने का सिद्धांत साबित नहीं होता है क्योंकि मृतक की पत्नी समा नायडू (अ०सा० 5) ने स्पष्ट रुप से कहा है कि उनके पति दीपक नायडू सुबह 07–08 बजे शराब पीकर घर से निकले थे और शाम को करीब 07.00 बजे उन्हें पड़ोस की महिलाओं से पता चला उसके पति का किसी से झगडा हुआ था और मोहल्ले के लोगों से यह भी पता चला कि मारपीट में उनके पति घायल

हो गये थे, इसलिए उन्हें मेकाहारा ले जाया गया था । उपरोक्त सूचना मिलने पर वे अपनी ननंद, सास व ससुर के साथ मेकाहारा गयी और वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि उनके पति की मृत्यु हो गयी है । वैसे भी, केवल अंतिम बार साथ देखे जाने के आधार पर तब तक दोषसिद्धी दर्ज नहीं की जा सकती, जब तक कि परिस्थितियों की श्रृंखला पुरी न हो जाये और यह निष्कर्ष न निकल आये कि केवल और केवल आरोपी/अपीलकर्ता ने ही मृतक की हत्या की है । उन्होंने आगे कहा कि तलाशी और जप्ती के गवाह पक्षद्रोही हो गये है और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है, यहां तक कि एफ एस एल रिपोर्ट के अनुसार भी जप्त वस्तुओं पर पाये गये खून के धब्बे मानव रक्त के होने का साबित नहीं हुए हैं, ऐसे में अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है । इसलिए, दर्ज किये गये दोषसिद्धी के फैसले एवं दी गयी सजा को अपास्त किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. दूसरी ओर, राज्य/प्रतिवादी की ओर उपस्थित अतिरिक्त विद्वान महाधिवक्ता श्री रणवीर सिंह मरहास ने उपरोक्त दलीलों का विरोध किया और कहा कि मृतक दीपक नायडू की अप्राकृतिक मौत डॉ० एम. निराला (अ०सा० 12) द्वारा साबित की गयी है, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी 15) के माध्यम से यह अभिमत दिया है कि मृतक की मौत का कारण अत्यधिक रक्त स्त्राव और कई बार चाकू से वार करने के कारण सदमे से हुई थी और मौत की प्रकृति हत्या की थी । उन्होंने आगे कहा कि जांचकर्ता ने जांच में पाया कि मृतक की मौत का कारण अत्यधिक रक्त स्त्राव और कई बार चाकू से वार करने के कारण सदमे से हुई थी । उन्होंने आगे कहा कि जांचकर्ता अधिकारी (अ०सा० 11) ने मामले की जांच की और अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के मेमोरण्डम कथन दर्ज किये गये तथा उनके कहने पर अपराध में प्रयुक्त हथियार अर्थात चाकू जप्त किये गये, स्वतंत्र एवं प्रमाणित साक्षी योगराज नेताम (अ०सा० 03) एवं महेश नेताम (अ०सा० 09) ने अभियुक्तों के मेमोरण्डम कथन एवं जप्ती पर अपने हस्ताक्षर सिद्ध किये हैं । जांच अधिकारी

(अ०सा० 11) ने भी दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में इसे सिद्ध किया है । उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाये गये परिस्थितिजन्य साक्षियों पर उचित रुप से विचार किया है, जिससे एक मात्र यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं ने उनके विरुद्ध आरोपित अपराध किये हैं । यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श पी 15) के अनुसार मृतक की मृत्यु चाकू लगने से हुई थी, इसलिए यह स्पष्ट है कि मृत्यु से पूर्व अभियुक्त द्वारा मृतक पर किसी कठोर वस्तु जैसे कि हाथ में चाकू से हमला किया गया था, इसलिए यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ने मृतक की हत्या की है। उन्होंने यह भी कहा कि ममता नायडू (अ०सा० 04) और निर्मला नायडू (अ०सा० 03) ने मृतक और आरोपी के साथ आखरी बार देखे जाने की बात साबित कर दी है । अभियोजन पक्ष ने आरोपी/अपीलकर्ताओं द्वारा अपराध किये जाने को साबित करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय सबूत पेश किये है । विद्वान विचारण न्यायालय में सबूतों को सही परिप्रेक्ष्य में देखा है और आरोपी के अपराध के निष्कर्ष को दर्ज किया है, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को सही ढंग से दोषी ठहराया है और इसलिए अपील खारिज कर दी गयी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है ।

14. प्रथम विचारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या विचारण न्यायालय का यह मानना न्यायोचित था कि मृतक दीपक नायडू की मृत्यु हत्या की प्रकृति की थी ।

15. विचारण न्यायालय में डॉ० एम. निराला (अ०सा० 12) के बयान पर भरोसा करते हुए, जिन्होंने मृतक दीपक नायडू के शव का पोस्टमार्टम किया है, प्रदर्श पी 15 के अनुसार कहा है कि पोस्टमार्टम के दौरान उन्हें 11 चोटे मिली है, जिनमें से 09 छेदने वाले घाव थे और उन्होंने कहा है कि मौत का कारण कई बार

चाहू से वार करने के कारण रक्त स्त्राव और सदमें के कारण हुआ था और मौत की प्रकृति हत्या की थी । विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया, उक्त निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित तथ्यात्मक निष्कर्ष है, जो न तो विकृत है और न ही अभिलेख के विपरीत है । अन्यथा भी अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा इस पर गंभीरता से विवाद नहीं किया गया है । हम इस निष्कर्ष की पुष्टी करते हैं ।

16. इससे अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या अपीलकर्ताओं ने मृतक दीपक नायडू की हत्या की थी ।

17. इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है । सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह निर्धारित किया है कि जहां कोई मामला पुरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धी का अनुमान तभी ठहराया जा सकता है जब सभी दोषपूर्ण तथ्य और परिस्थितियां अभियुक्त की निर्दोषिता या किसी अन्य व्यक्ति के अपराध के साथ असंगत पायी जाती है । **(देखें हुकुम सिंह बनाम राजस्थान राज्य, AIR 1977 SC 1063; एराडु और अन्य बनाम हैदराबाद राज्य, AIR 1956 SC 316; अरबाद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, AIR 1983 SC 446; उत्तरप्रदेश राज्य बनाम सुखबासी और अन्य AIR 1987 SC 350; अशोक कुमार चटर्जी बनाम मध्यप्रदेश राज्य, AIR 1988 SC 1890)** जिन परिस्थितियों में अभियुक्त के अपराध के बारे में अनुमान लगाया जाता है, उन्हें उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए और यह दिखाया जाना चाहिए कि परिस्थितियों से अनुमान लगाने के लिए प्रमुख तथ्य के साथ उनका निकट संबंध है । **भगतराम बनाम पंजाब राज्य AIR 1954 SC 621,** में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था कि जहां परिस्थितियों सें निकाला गया निष्कर्ष का संचयी प्रभाव ऐसा होना चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषिता को नकार दे और अपराध को किसी भी उचित संदेह से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

परे ले जाये ।

18. हम **सी. चेंगा रेड्डी एवं अन्य बना आंध्रप्रदेश राज्य (1996) 10 एससीसी 193** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ भी दे सकते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि

> " परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामलों में, स्थापित कानून यह है कि जिन परिस्थितियों के आधार पर दोष कर निष्कर्ष निकाला गया है वह पूरी तहर साबित होना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां प्रकृति में निर्णायक होनी चाहिए, इसके अलावा सभी परिस्थितियां वही होनी चाहिए और साक्ष्य कीश्रृंखला में कोई कमी नहीं होनी चाहिए । इसके अलावा साबित परिस्थितियां केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना केविरुद्ध होनी चाहिए और उसकी निर्दोषिता के साथ पूरी तरह से असंगतहोनी चाहिए.... ...."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. **पडाला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य में, एआईआर 1990 एससी 79,** में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है तो ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित परीक्षणों को पूरा करना चाहिए :

> (1) जिन परिस्थितियों से दोष का अनुमान लगाया जा रहा है उन्हे स्पष्टरुप से और दृढता से स्थापित किया जाना चाहिएः
>
> (2) वे परिस्थितियां निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो अभियुक्त के अपराध की ओर स्पष्ट रुप से इंगित करती है ।
>
> (3) परिस्थितियों को संचयी रुप से लिया जाये तो एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला बन जानी चाहिए कि इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता, कि सभीमानवीय संभावनाओं के भीतर

अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया था, किसी अन्य द्वारा नहीं: तथा

(4) दोषसिद्धी को बनाये रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होना चाहिए तथा अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरुप होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषिता के साथ भी असंगत होना चाहिए ।

20. **उत्तरप्रदेश राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव, 1992 सी आर एल. एल जे 1104,** सर्वोच्च न्यायालय ने यह इंगित किया था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मुल्यांकन करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और यदि जिस साक्ष्य पर भरोसा किया जाता है, वह उचित रुप से दो निष्कर्ष निकालने में सक्षम है तो अभियुक्त के पक्ष में एक को स्वीकार किया जाना चाहिए । यह भी इंगित किया गया है कि जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया जाता है, उन्हें परी तरह से स्थापित पाया जाना चाहिए और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्यों का संचयी प्रभाव केवल अपराध की परिकल्पना के अनुरुप होना चाहिए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. सर अल्फ्रेड विल्स ने अपनी प्रशंसनीय पुस्तक "विल्स परिस्थिजिन्य साक्ष्य" (अध्याय VI) में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में विशेष रुप से पालन किये जाने वाले नियमों को निर्धारित किया है :

(1) किसी भी कानूनी अनुमान के आधार के रुप में आरोपित तथ्यों को स्पष्ट रूप से साबित किया जाना चाहिए और तथ्य के साथ उचित संदेह से परे होना चाहिए ; (2) सबूत का भार हमेश उस पक्ष पर होता है जो किसी भी तथ्य के अस्तित्व का दावा करता है, जो कानून जवाबदेही का अनुमान लगाता है ; (3) सभी मामलों में, चाहे प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में सबसे अच्छा सबूत पेश किया

जाना चाहिए जो मामले की प्रकृति को स्वीकार करता हो ; (4) दोष के अनुमान को सही ठहराने के लिए, दोषपूर्ण तथ्य अभियुक्त की निर्दोषिता के साथ असंगत होना चाहिए और उसके अपराध के अलावा किसी भी अन्य उचित परिकल्पना पर स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होनी ;(5) यदि अभियुक्त के अपराध के बारे में कोई उचित संदेह है, तो वह बरी होने का हकदार है ।

22. पांच स्वर्णिम सिद्धांत जो प्रमाण के पंचशील का निर्माण करते हैं परिस्थितजन्य साक्ष्य के आधार पर मामला निर्धारित किया गया है । **शरद बिरधीचंद सारदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एस सी सी 116** के मामले में यह निर्धारित किया गया है कि :–

(1) "वे परिस्थितियों जिनसे दोषित का निष्कर्ष निकाला जाना है उन्हें पुरी तरह से सिद्ध किया जाना चाहिए । संबंधित परिस्थितियां सिद्ध करनी होगी या की जानी चाहिए, न कि की जा सकती है ;

(2) इस प्रकार से सिद्ध किये गये तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की कल्पना के अनुरुप होनी चाहिए, अथवा इस बात के सिवाय अभियुक्त दोषी है, किसी अन्य परिकल्पना के पोषक नहीं होनी चाहिए ;

(3) परिस्थितयां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी ;

(4) उन्हें साबित की जानी वाली परिकल्पना हो छोडकर हर संभावित परिकल्पना को वर्जित कर देना चाहिए ; तथा

(5) साक्षियों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त के निर्दोषिता के अनुरुप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार न बचे और यह दर्शाया जाना चाहिए कि सभी मानवीन संभावनाओं में कृत्य अभियुक्त के द्वारा ही किया गया। "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. **त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र, राज्य (2006) 1 एससीसी 681,** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार माना है कि:–

"12. इस मामले में घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष पर आधारित है । परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में सामान्य भ्रांतियां यह है कि जिन परिस्थितियों से दोष का अनुमान लगाया जाता है वे स्पष्ट और दृढता से स्थापित किया जाना चाहिए ; कि उन परिस्थितयों की निश्चित प्रवृत्ति होनी चाहिए और जो अभियुक्त के अपराध की ओर इंगित करती हो; की परिस्थितियों को संचयीरुप से लिया जाना चाहिए जो एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला बनाती हो कि इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त के द्वारा किया गया था और वे अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होने चाहिए और उसकी निर्दोषिता के साथ असंगत होनी चाहिए । "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सिद्धांतों को **निजाम और राजस्थान राज्य,** (2016) 1 **एससीसी** 550, में दोहराया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि :–

> "8 अभियोजन का मामला पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य आधारित मामले में, स्थापित कानून यह है कि जिन परिस्थितियों से दोष या निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें पूरी तरह साबित किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियों की प्रकृति निर्णायक होनी चाहिए । इसके अलावा, सभी परिस्थितियां पूरी होनी चाहिए, एक श्रृंखला बनानी चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, साबित परिस्थितियां केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरुप होनी चाहिए जो उसकी निर्दोषिता से पूरी तरह से

असंगत हो । "

25. ममता नायडू (अ०सा० 04) ने बताया है कि घटना के दिन आरोपी अरशद और सैय्यद नदीम उसके भाई दीपक नायडू को अपने साथ ले गये थे । जब उसका भाई दीपक शाम तक वापस नहीं लौटा तो दीपक की पत्नी समा नायडू ने दीपक को फोन किया । जब समा नायडू अपने पति दीपक से बात कर रही थी, तब वह भी वहां मौजूद थी और दोनों के बीच हो रही बातचीत सुन सकती थी । उसने फोन पर सुना कि दीपक अपनी पत्नी को उसके साथ हुए झगडे के बारे में बता रहा था । ममता नायडू, इसके बाद अपने बडे भाई राजा के पास गयी और दीपक के साथ हुई मारपीट की बात बतायी । उसने यह भी बताया है कि उसी समय उसके पड़ोस में रहने वाले कबाड़ व्यवसायी राजू का फोन आया, जिसने बताया कि मोनू और अरशद, लाभांडी शराब भट्टी के पास दीपक को बुरी तरह पीट रहे है । उक्त जानकारी मिलने के बाद उसका भाई राजा भाई घटना स्थल पर गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. राजा रायडू (अ०सा० 06) मृतक का भाई है जिसने बताया कि राजू कबाडी ने घर पर फोन करके बताया कि कुछ लडके दीपक को पीट रहे है, जिस पर उसके परिवार वालों ने उसे इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वह देशी शराब भट्टी लाभांडी गया तो देखा कि उसका भाई दर्द से तडप रहा था । उसके पुछताछ करने पर उसने बताया कि मोनू, अरशद, खलील और लियोन ने उसे बुलाकर पीटा था । यह बात बताने के बाद उसके भाई की मौत हो गयी । उसने यह भी बताया कि उसके भाई के सीने, जांघ ,पीट और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान थे । शव पंचनामा प्रदर्श पी 14 पर उसके हस्ताक्षर है । शव पंचनामा के साक्षी रोशन कुमार नायडू (अ०सा० 08) ने भी बताया कि पंचनामा पर उसके हस्ताक्षर है ।

27. निर्मला नायडू (अ०सा० 03) मृतक की माँ है । उसने बयान दिया है कि घटना के तारीख को शाम कारीब 04–04:30 बजे आरोपी अरशद खान एक पीले रंग की स्कूटी जैसी गाडी में उसके घर आया और उसके बेटे दीपक को घुमने चलने

को कहा, इसलिए उसका बेटा अपने दोस्त की मोटरसायकल पर आरोपी अरशद के साथ घर से निकल गया । उसने आगे बयान दिया है कि शाम करीब 07.15 बजे उसके पड़ोसी राजू कुमार ने उसके परिवार को बताया कि दीपक को लाभांडी शराब भट्टी के पास चाकुओं से पीटा जा रहा है । तभी राजू की बेटी उसके घर आयी और उसे उक्त बात की जानकारी दी । उक्त जानकारी मिलने पर उसका बडा बेटा राजू नायडू दीपक की खोज में निकल गया ।

28. समा नायडू (अ०सा० 05) मृतक की पत्नी है, जिसने बताया है कि घटना दिनांक को उसका पति दीपक नायडू सुबह करीब 07–08 बजे शराब पीकर घर से निकले थे तथा शाम करीब 07.00 बजे पडोस की महिलाओं से उसे पता चला कि उसके पति दीपक का किसी से झगडा हो गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. उपनिरीक्षक रामस्वरुप देवांगन (अ०सा० 11) ने राजा नायडू की पहचान पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा प्रदर्श पी 10 तैयार किया था, जिसमें घटना स्थल को लाल स्याही से "ए" अंकित किया गया था । उसके द्वारा पटवारी को नक्शा तैयार करने के लिए तहसीलदार रायपुर के माध्यम से ज्ञापन (प्रदर्श पी 01) भेजा गया था । उन्होंने अपने मोबाईल में घटना स्थल का फोटो लिया था, जो प्रदर्श पी ए –01 है । पटवारी मनीष धनगर (अ०सा० 01) बी. राव इंजीनियरिंग वर्क्स के पास लाभांडी शराब दुकान के पास घटना स्थल पर जाकर घटना स्थल का नक्शा प्रदर्श पी 02 तैयार किया था । इस संबंध में राजू कुमार (अ०सा० 02) ने कहा है कि वे पुलिस के साथ मौके पर नहीं गये थे, तथापि उन्होंने कहा कि नक्शा प्रदर्श पी 10 पर उनके हस्ताक्षर है ।

30. मेमोरण्डम कथन (प्रदर्श पी 04) में आरोपी अरशद ने बताया है कि एक सप्ताह पूर्व दीपक नायडू का उसके पिता से झगडा हुआ था, जिससे वह नाराज हो गया तथा रंजिश के कारण दिनांक 14.06.2019 की रात्रि 08–09 बजे मरीन ड्राईव तेलीबांधा पर अपने दोस्त नदीम उर्फ मोनू, कलील उर्फ खलील रहमान,

ललित बरवे उर्फ लियान के साथ दीपक नायडू की हत्या की योजना बनायी । इस योजना के अनुसार दिनांक 15.06.2019 की शाम दीपक नायडू की हत्या की योजना बनाकर वह अपने जूपीटर वाहन से दीपक नायडू के घर गया उसे लाभांडी शराब भट्टी की तरफ चलकर शराब लेने को कहा, दीपक नायडू अलग मोटरसायकल से आगे चला गया और जूपीटर वाहन से लाभांडी शराब भट्टी तक उसका पीछा किया । योजना के अनुसार वह अपने दोस्त नदीम उर्फ मोनू, कलील उर्फ खलील रहमान, ललित बरवे उर्फ लियान के साथ मोटरसायकल से चाकुओं के साथ लाभांडी स्थित शराब भट्टी पहुंचा । सभी ने मिलकर मृतक को शराब पीलायी और अंधेरा होने पर दीपक नायडू अपनी मोटरसायकल से वापस आ रहा था, सभी ने दीपक नायडू को घटना स्थल पर रोक लिया और जान से मारने की नियत से चाकुओं से हमला करना शुरु कर दिया। मृतक के जमीन पर गिर जाने पर सभी भाग गये । आरोपी अरशद ने बताया कि उसने जिस चाकू से दीपक नायडू की हत्या की है वह उसने अपने घर में छिपा रखा था, उसने अपनी जूपीटर गाडी क्रमांक सी जी 04 एल डब्ल्यू 9327 को अपने घर में रखा था तथा उसने हत्या की योजना बनाने में प्रयुक्त वीवो कम्पनी का मोबाईल सीम क्रमांक 7000118792 भी अपने घर में रखा था । आरोपी अरशद खान के मेमोरण्डम के आधार पर एक चाकू जिस पर मानव रक्त जैसे दाग पाये गये, एक वीवो कम्पनी का मोबाईल, वाहन जूपीटर क्रमांक सी जी 04 एल डब्ल्यू 9327, घटना स्थल पर पहने हुए कपडे, एक फुल आस्तीन की टी शर्ट, एक गहरे नीले रंग का रेडिमेट लोवर जिस पर मानव रक्त जैसे दाग दांहिने पैर के पास दिखायी दे रहे थे, की जप्ती मेमोरण्डम प्रदर्श पी 08 के अनुसार जप्त किया । वीवो मोबाईल की मूल रसीद एवं छायाप्रति प्रस्तुत करने पर छायाप्रति प्रमाणित कर प्रकरण में संलग्न किया गया तथा मूल रसीद आरोपी को वापस किया गया । उक्त रसीद प्रदर्श पी 18 है । प्रदर्श पी 19 के अनुसार अरशद खान का मोटर वाहन जूपीटर सी जी 04 एल डब्ल्यू 9327 जप्त किया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. दिनांक 16.06.2019 को थाना तेलीबांधा में रामस्वरुप देवांगन (अ०सा० 11) द्वारा आरोपी सैय्यद नदीम उर्फ बाबा मोनू का मेमोरण्डम कथन लेते समय उसने बताया था कि घटना दिनांक 15.06.2019 को शाम 06.00 बजे वह अपने दोस्त कलील एवं ललित बरवे के साथ लाभांडी शराब भट्टी पर पहुंचा था और अरशद का इंतजार कर रहा था । जब दीपक एवं अरशद वहां पहुंचे तो उन्होंने शराब पी और करीब 07.30 बजे शाम को दीपक अपनी मोटरसायकल से घर के लिए निकला । वे उसका पीछा करते हुए कुछ दूर जाकर दीपक नायडू को रोककर योजना अनुसार जान से मारने की धमकी की नियत से चाकू से हमला कर भाग गये। जप्ती मेमो अनुसार रामस्वरुप देवांगन (अ०सा० 11) द्वारा आरोपी सैय्यद नदीम के कब्जे से चोरी की गयी बाईक प्रदर्श पी 07, एक स्टील का चाकू, एक लावा कम्पनी का मोबाईल तथा घटना के समय पहने हुए कपडे, एक लाल रंग का हाफ टी शर्ट तथा काले रंग का जींस पेंट जिस पर जगह–जगह मानव रक्त के धब्बे लगे हुए थे, को अलग–अलग सीलकर जप्त किया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर से प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श पी–34) के अनुसार घटनास्थल से प्राप्त मिट्टी, आरोपी से जप्त चाकू, आरोपी अरशद खान से जप्त टी–शर्ट और लोवर तथा आरोपी सैयद नदीम से जप्त टी–शर्ट, टी–शर्ट, अंडरवियर, लोवर, तौलिया बनियान एवं कटर ब्लेड में मानव रक्त पाया जाना प्रतिवेदित किया गया है ।

33. साक्ष्य में यह बात सामने आई है कि राजा नायडू (अ०सा०–6)उस स्थान पर गया था, जहां उसका भाई दीपक नायडू दर्द से तड़प रहा था और दीपक नायडू ने उसे बताया कि आरोपी उसे मारने जा रहे हैं, जिसके बाद दीपक की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह पता चलता है कि मृतक दीपक नायडू को आरोपी अरशद और सैयद के साथ जाते देखा गया था, उसके बाद दीपक नायडू मृत पाया गया। हालांकि मृतक की पत्नी शमा नायडू (अ०सा०–5)

ने इस बात से इंकार किया है कि मृतक उक्त आरोपियों के साथ गया था, लेकिन ममता नायडू (अ०सा०–4) और निर्मला नायडू (अ०सा०–3) के बयान से यह साबित होता है कि मृतक आरोपियों के साथ गया था। इस प्रकार, "अंतिम बार एक साथ देखा गया" का सिद्धांत आरोपियों पर सबूत का भार डालता है, जिससे उन्हें यह स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है कि घटना कैसे हुई। इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने में आरोपियों की ओर से विफलता उनके विरुद्ध मजबूत अनुमान को जन्म देगी।

34. अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार एक साथ देखा गया था उसके बाद दीपक नायडू मृत पाया गया । इस प्रकार, अंतिम बार देखे जाने और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर, अभियुक्त के विरुद्ध अपराध सिद्ध होता है। यह कहना सही है कि गवाहों के बयानों में कुछ विरोधाभाष है, लेकिन केवल इससे यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना को अंजाम नहीं दिया, केवल इसलिए कि कुछ गवाह आंशिक रुप से पक्षद्रोही हो गये हैं, उनके साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसे गवाहों के साक्ष्य को पूरी तरह से समाप्त नहीं माना जा सकता है बल्कि उन्हें सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है कि उनके बयान विश्वसनीय पाये जाते हैं और न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अधिक सावधानी से उनकी जांच करेगी कि यह अभियोजन पक्ष के मामले को किस हद तक समर्थन करता है । उनके बयानों में धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज मामलों में अभियुक्तों ने घटना के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, सिवाय सभी आपत्तिजनक परिस्थितियों से सामान्य इंकार के । अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षियों के बयानों में बचाव पक्ष द्वारा कुछ विरोधाभाषी बयान दिये गये है तथा जांच में कुछ कमियां सामने आयी है लेकिन वे इतनी बडी कमियां नहीं है कि अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी पर संदेह किया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. राजू कुमार (अ०सा०–02) एवं भगवान सिंह चौहान (अ०सा०–07) ने मेमोरण्डम कथन प्रदर्श पी 04 एवं प्रदर्श पी 05 तथा जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 06 एवं प्रदर्श पी 07 की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है, किंतु उनमें अपने हस्ताक्षर से इंकार नहीं किया है । जांच अधिकारी रामस्वरुप देवांगन के मेमोरण्डम कथन एवं जप्ती कार्यवाही सिद्ध होती है उनके कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । डॉ० एम के निराला (अ०सा०–12) ने उनके समक्ष प्रस्तुत चाकुओं के संबंध में अपना मत दिया है कि दीपक नायडू के शरीर पर लगी चोट जप्त चाकू से हो सकती है तथा जप्त चाकू से ही उनकी मृत्यु हो सकती है।

36. साक्ष्य से यह भी प्रकाश में आया है कि घटना से पहले मृतक का आरोपी अरशद के पिता से विवाद हुआ था यही विवाद दुश्मनी और हत्या का कारण बनी । आरोपी द्वारा अपने ऊपर लगे आरोप को स्पष्ट न करना भी परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी के रुप में लिया जा सकता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान में आरोपी ने सामान्य अपरिहार्य परिस्थितियों के सामान्य खंडन को छोडकर स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

37. अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया है कि मृतक अपराधी प्रवृत्ति का था तथा उसकी कई लोगों से दुश्मनी थी । यहां तक दीपक नायडू की हत्या का प्रश्न है, इस मामले में अभियुक्तगण ही उसकी हत्या के आरोपी हैं । ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि मृतक की हत्या अभियुक्त के अलावा किसी अन्य ने की है ।

38. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान में कुछ विरोधाभाष है, लेकिन उनमें ऐसे मौलिक दोष नहीं है कि अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी पर संदेह

किया जा सके । रिकार्ड पर उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त के अकेले दोषी होने के एक मात्र परिकल्पना को इंगित करने के अनुरुप है । यह भी साबित नहीं हुआ है कि अभियुक्तों को दुश्मनी के कारण झूठा फसाया गया है । इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय इस सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियुक्त अरशद खान और सैय्यद नदीम, दीपक नायडू की हत्या के आपराधिक साजिश और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और धारा 302 के साथ धारा 34 के तहत सामान्य आशय के अग्रशरण में दीपक नायडू के हत्या के दोषी साबित हुए हैं ।

39. प्रकरण में जप्त चाकू के संबंध में राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 6312–65522 दिनांक 22 नवम्बर 1974 की प्रति प्रदर्श पी 26 के रुप में प्रस्तुत की गयी है, जो एक सार्वजनिक दस्तावेज है, जिसके अनुसार 06 इंच से लम्बे या 02 इंच से अधिक चौडे तथा स्प्रिंग युक्त किसी भी आकार के धारदार हथियार अपने पास रखना या ले जाना अपराध है एवं सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित है । आरोपी अरशद से जप्त चाकू की लम्बाई हैंडल सहित 29 सेमी और ब्लेड की लम्बाई 19 से मी, हैंडल की लम्बाई 10 से मी है । इसी तरह आरोपी सैय्यद नदीम से जप्त चाकू की लम्बाई 29 से मी, ब्लेड की लम्बाई 17 सेमी, मध्य भाग की चौडाई और हैंडल की लम्बाई 12 से मी है । आयुध अधिनियम की धारा 25 (1 बी) (बी) के अनुसार जो कोई भी, धारा 04 के तहत अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट है, किसी भी स्थान पर उस धारा का उल्लंघन करते हुए अधिसूचना में निर्दिष्ट ऐसे वर्ग या विवरण का कोई हथियार अर्जित करता है, अपने कब्जे में रखता है या लेकर चलता है, एक वर्ष के कम अवधि के कारावास से नहीं बल्कि तीन साल तक की अवधि के लिए दंडनीय होगा और जुर्माना भी देय होगा । जांचकर्ता के कथन के अनुसार, आरोपी अरशद खान और सैय्यद नदीम से जप्त चाकू की लम्बाई और चौडाई अधिसूचना में वर्णित प्रतिबंधित चाकू के अनुसार है । साक्ष्य से यह साबित होता है कि आरोपी अरशद खान और सैय्यद नदीम ने सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए चाकू अपने पास रखा और घटना को अंजाम देने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में उक्त चाकू का इस्तेमाल किया । परिणामस्वरुप आरोपी अरशद खान और सैय्यद नदीम के खिलाफ आयुध अधिनियम की धारा 25 (1–बी) (बी) और धारा 27 के तहत लगाये गये अपराध साबित होते हैं ।

40. उपरोक्त कारणों से अपीलकर्ता **अरशद खान** की ओर से प्रस्तुत आपराधिक अपील क्रमांक 627/2023 एवं अपीलकर्ता– **सैय्यद नदीम उर्फ बडा मोनू** की ओर से प्रस्तुत आपराधिक अपील नम्बर 723/2023 को **खारिज** किया जाता है । अपीलकर्ता जेल में है, संबंधित विचारण न्यायालय के आदेश के अनुसार सजा भुगताई जावे ।

41. निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ अनुपालन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तुरंत संबंधित न्यायालय को वापस भेजा जाये ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(विभू दत्त गुरू)
न्यायाधीश

सही/–
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur